



(स्पीड पोस्ट)

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

परिवेश भवन, एन.एस-बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0-सदाकत आश्रम, पटना-800010

पत्रांक:

281

पटना, दिनांक:

10.7.26

प्रेषक,

मनोरंजन कुमार सिंह,
क्षेत्रीय पदाधिकारी, गयाजी
सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्फोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना-800023.

विषय: श्री रंजीत कुमार, पिता: राम सिंहासन सिंह, चान्दमारी रोड लेन नं०-02,
पोस्ट-लोहियानगर, कंकडबाग, पटना-800020 द्वारा अरवल सोन नदी स्थित अरवल
सोन-10 (मसदपुर 1 घाट-C) बालू घाट, मौजा-मसदपुर, प्रखंड-कलेर जिला-अरवल
(बिहार) का अरवल जिला में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक
सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार के अधिसूचना सं०-S.O. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में
श्री रंजीत कुमार, पिता: राम सिंहासन सिंह, चान्दमारी रोड लेन नं०-02, पोस्ट-लोहियानगर, कंकडबाग,
पटना-800020 द्वारा अरवल सोन नदी स्थित अरवल सोन-10 (मसदपुर 1 घाट-C) बालू घाट,
मौजा-मसदपुर, प्रखंड-कलेर जिला-अरवल (बिहार) से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में
दिनांक: 16.06.2026 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी० डी० की प्रति
संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

(मनोरंजन कुमार सिंह)
क्षेत्रीय पदाधिकारी, गयाजी

प्रतिलिपि:-

1. जिला पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. श्री रंजीत कुमार, पिता: राम सिंहासन सिंह, चान्दमारी रोड लेन नं०-02, पोस्ट-लोहियानगर, कंकडबाग, पटना-800020 द्वारा अरवल सोन नदी स्थित अरवल सोन-10 (मसदपुर 1 घाट-C) बालू घाट, मौजा-मसदपुर, प्रखंड-कलेर जिला-अरवल (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद्, पटना को निदेश है कि दिनांक: 16.06.2026 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद् के वेबसाइट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांक: 16.06.2026 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

लोक सुनवाई का वृत्त।

श्री रंजीत कुमार, पिता: राम सिंहासन सिंह, चान्दमारी रोड लेन नं०-02, पोस्ट-लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना-800020 द्वारा अरवल जिलान्तर्गत सोन नदी स्थित अरवल सोन-10 (मसदपुर-1 घाट C) बालू घाट, मौजा-मसदपुर, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल, बिहार के अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 16.06.2026 को अपराह्न 12:30 बजे प्रखण्ड कार्यालय कलेर परिसर के सभाकक्ष में, कलेर, जिला-अरवल के प्रागण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/3370/2026, dated 25.02.2026 के आलोक में श्री शैलेश कुमार उप विकास आयुक्त, अरवल (जिला पदाधिकारी, अरवल के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा दिनांक: 16.06.2026 को अपराह्न 12:30 बजे प्रखण्ड कार्यालय परिसर के सभाकक्ष में, कलेर, जिला-अरवल में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक 08.05.2026 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा गयाजी द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। यह बालू खनन पट्टा अरवल जिला अन्तर्गत सोन नदी स्थित अरवल सोन-10 (मसदपुर-1 घाट C), मौजा-मसदपुर, अंचल-कलेर, जिला-अरवल में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री रंजीत कुमार, पिता-राम सिंहासन सिंह को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है, इस खनन पट्टा में 18.90 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 3,40,200 घन मीटर बालू का खनन प्रस्तावित है, इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹ 5 करोड़ 84 लाख 33 हजार है।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, गयाजी द्वारा अरवल जिला अन्तर्गत अरवल सोन-10 (मसदपुर-1 घाट C), मौजा-मसदपुर, अंचल-कलेर, जिला-अरवल के परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री अभिषेक कुमार को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी के प्रतिनिधि श्री अभिषेक कुमार के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उप विकास आयुक्त महोदय की अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री प्रवीण कुमार सिन्हा के द्वारा इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में कुल 189 वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	(1) श्री सरुण कुमार, पिता-उमेश सिंह ग्राम-कलेर, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल।	इनके द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने से संबंधित एवं बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोकथाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अश्वासन दिया गया कि ग्रामिणों को प्राथमिकता के आधार पर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में नियमित रूप से सड़को पर जल का छिड़काव किया जायेगा एवं बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर बालू का परिवहन किया जायेगा।
	(2) श्री दीपक कुमार, ग्राम-मसदपुर, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल।	इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा श्री सरुण कुमार, श्री दीपक कुमार एवं श्री आनंद कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
	(3) श्री आनंद कुमार, ग्राम-कामता, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल।	

2	श्री गोलु सिंह, ग्राम—बाथे, प्रखंड—कलेर, जिला—अरवल।	इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया कि मेरे पास बालू खनन में उपयोग होने वाली (एक्सवेटर/पोकलेन/डम्पर आदि) मशीनें हैं क्या उपयुक्त मशीनों को इस घाट के बालू उत्खनन के कार्य में लगाया जायेगा। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह परियोजना अर्द्धमशीनीकृत विधि से की जायेगी जिसमें बालू उत्खनन कार्य के लिए मशीनों का उपयोग किया जायेगा। लोक—सुनवाई के दौरान संवेदक प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि सुविधा के अनुसार जरूरत पड़ने पर उक्त मशीनों को काम में लाया जायेगा। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा श्री गोलु सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
---	--	--

लोक सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन के उपरांत गीले बालू को Secondary Storage Facility में एकत्रित करने के पश्चात् ही बालू का उठाव एवं परिवहन का कार्य किया जाये। वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल का छिड़काव करेंगे एवं बालू परिवहन के दौरान सड़क के किनारे जो बालू गिरता है उसका उठाव सुनिश्चित करेंगे जिससे उक्त मार्ग में आने-जाने वाले जनता को कोई भी समस्या न हो, साथ बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 3 मीटर गहराई अथवा भू-गर्भीय जल स्तर से उपर तक ही करेंगे। साथ ही स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मुहैया कराया जाये।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए बालू घाट का प्रस्तावित खनन परियोजना से सम्बंधित अग्रेतर कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

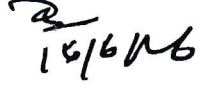
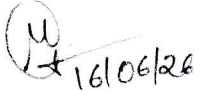
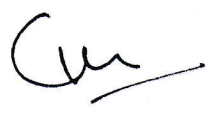
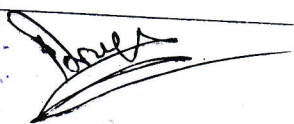


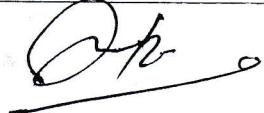
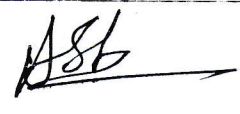
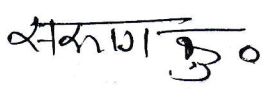
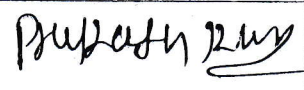
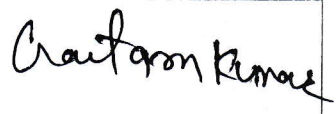
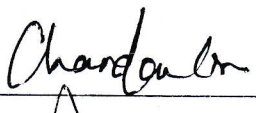
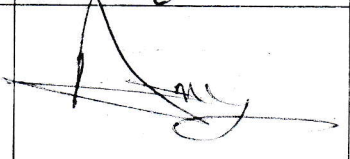
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद, गयाजी


 उप विकास आयुक्त,
अरवल

उपस्थिति सूची

श्री रंजीत कुमार, पिता: राम सिंहासन सिंह, चान्दमारी रोड लेन नं०-02, पोस्ट-लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना-800020 द्वारा अरवल सोन नदी स्थित अरवल सोन-10 (मसदपुर घाट-01 घाटC), बालू घाट, मौजा- मसदपुर, प्रखंड-कलेर, जिला-अरवल (बिहार) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 16.06.2026 को 12:30 बजे अपराह्न में प्रखंड कार्यालय, कलेर, जिला-अरवल में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्रीलाल कुमार	अरवल निवासी अरवल	 16/6/26
2.	संजय कुमार सिंह	शेखरी नदी जयपुरी	 16/6/26
3.	मनोहर गुप्ता	अरवल निवासी अरवल	 16/06/26
4.	Pravir KV. Singh	Env. Consultant	
5.	रवि गोपाल	शेखरी सहायक वि० रा० प्र० वि० प० पटना	
6.			
7.			
8.	ABHISHEK KUMAR Project - Representative श्री रंजीत कुमार	Vill - BARA, P.O - SAJDABA PS - KANPA, D's - PATNA	Abhishek Kumar
9.	Praveen Kumar	Vill - MASDAPUR	

10.	Sigden-12 Vill - Masat Pur.	Vill - Masat Pur	
11.	Deo/Dak Kumar Mithilash Singh	Vill - Masat Pur	
12.	Golu Singh Ramvinay Singh	Vill - Bathe	
13.	Ankit Kumar Ram Lata Sharma	Vill - Sohsa	
14.	Shivay Singh Har Ram Krishna	Vill - Masatpur	
15.	Sarun Kumar Umesh Singh	Vill - Kaler	
16.	Purush Kumar Ashok Singh	Vill - Bhagpur	
17.	Chaitan Kumar Saktish Kumar	Vill - Sohsa	
18.	Chandani b. Ranjay b. Sharma	Vill, Bhagpur	
19.	Anirudh Kumar Anirudh Sharma	Vill - Bhagpur	
20.	Dhruv Singh	Kameta	

21.	Anand Kumar	Vill Rashtampur	<u>Anand</u>
22.	Radha Sreenivas	Vill. Bekotet	<u>Radha</u>
23.	Dharam Jay Sharma	Village Kathopur	<u>DF</u>
24.	2/15/12	2/15/12	2/15/12
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			